

सात नए इन्क्यूबेटरों को मिली मंजूरी

लखनऊ। स्टार्टअप नीति-2020 के तहत प्रदेश में सात नए इन्क्यूबेटर को मंजूरी दी गई है। ये स्टार्टअप के लिए पहले संपर्क केंद्र के रूप में काम करेंगे। बुंदेलखंड में पहले स्टार्टअप इन्क्यूबेटर के रूप में बांदा के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अटल इनोवेशन सेंटर, नैस्कॉम 10000 स्टार्टअप वेयरहाउस नोएडा, जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ, जीएलए विश्वविद्यालय मथुरा एवं कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद को नए स्टार्टअप के रूप में मंजूरी दी गई है।

सोमवार को हुई स्टार्टअप नीति क्रियान्वयन इकाई की बैठक की अध्यक्षता करते हुए आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने कहा कि ये इन्क्यूबेटर स्टार्टअप को मार्गदर्शन व स्टार्टअप की सिफारिश करने के लिए हब एंड स्पोक मॉडल के तहत काम करेंगे। नए इन्क्यूबेटर से जहां प्रशिक्षित युवकों को सह-उद्यमी बनने में सहायता मिलेगी वही प्रदेश में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम विकसित हो सकेगा। स्टार्टअप नीति में प्रदेश में 100 से अधिक इन्क्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे, हर जिले में कम से कम एक इन्क्यूबेटर स्थापित करने का लक्ष्य है। व्यूरो